

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 604 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 04, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर

विषय:- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/135/2023/एफ०सी०/201, दिनांक 26.06.2023 एवं आपका पत्रांक-447/2-6, दिनांक 22.08.2023

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया है:-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं०-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच०-2 केस की सत्यापित प्रति, एच०-2 केस प्रशमित प्रमाण पत्र, दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना एवं उल्लंघन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही को ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं किया गया है। अतः अपलोड कर प्रेषित करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 604 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
2. टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपो, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।